[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 17/2018 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि...(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़ पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार को पश्चात्वर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार